बिहार सरकार

उद्योग विभाग

(सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय)

<u>आदेश</u>

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजनान्तर्गत 2024-25 के लिए कुल 11 (सूची संलग्न) अतिरिक्त चयनित लाभार्थियों का प्रथम चरण का प्रशिक्षण कराया गया है। प्रशिक्षणोपरांत 11 लाभार्थियों को कुल स्वीकृत परियोजना लागत की राशि रु0 85,10,000.00 (रुपये पचासी लाख दस हजार) मात्र पर स्वीकृति प्रदान की गई है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत राशि की स्वीकृति एवं विमुक्ति हेतु निर्गत प्रक्रिया विवरणी के आलोक में प्रथम किस्त के रूप में परियोजना लागत की राशि का अधिकतम रु0 2.00 लाख (परियोजना स्थल की तैयारी हेतु रु0 1.50 लाख + बिजली कनेक्शन एवं सैफ्टी किट हेतु रु0 25.00 हजार + अन्य मद में रु0 25.00 हजार) स्वीकृत किया जाना है।

संलग्न सूची के आधार पर संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र अपने-अपने जिले से संबंधित लाभुकों का स्वीकृत्यादेश पोर्टल पर तीन दिनों के अन्दर अपलोड करेंगे एवं उसी के आधार पर सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार स्टार्ट-अप फंड ट्रस्ट (MMUY), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा लाभुकों के खाते में भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0- यथोपरि।

ह0/-

सहायक निदेशक,

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 555 /पटना, दिनांक-25/03/2026

सं0सं0- 4तक0/MMUY-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग /56/2023

प्रतिलिपिः- विशेष सचिव-सह-निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार स्टार्ट-अप फंड ट्रस्ट (MMUY), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, बिहार, पटना/संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बिहार/सभी सहायक निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय/संबंधित नोडल पदाधिकारी, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना/आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

25/03/26

सहायक निदेशक,

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय,

बिहार, पटना।